न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 124/2017 दायरा दिनांक : 04.09.2017

उनवान

सन्तरा बाई उम्र 48 वर्ष पुत्री रत्ता, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– बीरम पुत्र धूल्या, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1– रामदयाल पुत्र बीरम, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/2– जगदीश पुत्र बीरम, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/3– कान्ति पुत्री बीरम, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/4– धापू बाई पुत्री बीरम, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/5– पाना बाई पत्नी बीरम, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2– प्रेम पुत्री धूल्या पत्नी प्रभू, जाति चमार, निवासी भोजपुर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3– ग्यारसी पुत्री धूल्या पत्नी बद्री, जाति चमार, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

4— बाबूलाल पुत्र भैरू लाल, जाति लोधा, निवासी बनेठ, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

5— स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री श्याम सुन्दर शर्मा।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अमर सिंह लववंशी एवं श्री मुकेश लोघा अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या — 04/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 विधि पत्र संग्रहसार, रेकार्ड, नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का सही तरीके से विभाजन नहीं किया है । अपीलांट तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 जाति से चमार है,, अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, रेस्पोडेंट प्रतिवादी नम्बर 4 बाबू लाल लोधा सवर्ण जाति का सदस्य हैं जिसने दावा प्रस्तुत करने से दो माह पूर्व जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करवा लिया जो धारा 42 बी का खुला उल्लंघन है । अपीलांट वादगस्त आराजी का खातेदार व काश्तकार है । अपीलांट का सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

कोर्ट में निर्णय पारित किया है जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है । मौका रिपोर्ट भी भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी बनेठ द्वारा बनाई गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.07.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 660 रकबा 2 बिस्वा में वादिनी का 1/2 हिस्सा है । महिला अनुसूचित जाति की है जबकि प्रतिवादी नम्बर 4 लोधा जाति जो अन्य पिछडा वर्ग में आती है । वो वादग्रस्त आराजी नहीं ले सकते है। निर्णय कोर्ट कैम्प में दिया गया है । बाबूलाल लोधा ने वादग्रस्त आराजी में दुकानों का निर्माण कर लिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया । अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह उचित व सही है । अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट की है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि रेस्पोडेंट प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 बाबूलाल को बेचान कर दी । रेस्पोडेंट प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अनुसूचित जाति के हैं व प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 4 अन्य पिछडा वर्ग का है । अतः यह बेचान ही शून्य है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति का सदस्य नही है को बेचान नहीं कर सकता है इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अपीलांट के पिता रत्ता के हिस्से पर जाति समाज रैदास की धर्मशाला बनी हुई है इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने आगे यह कथन किया कि मौके पर कोई कृषि भूमि कृषि उपयोग की नहीं है । इसलिए अपीलांट प्रार्थिया का वाद चलने योग्य नहीं है वाद खारिज कर दिया । जमाबंदी संख्या 2063–66 में वादग्रस्त भूमि में भूमि की किस्म खेडा प्रथम दर्शाई गई है, जो कृषि योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र मौके की रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय किया है, वह विधि सम्मत नहीं होकर त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन